न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 04 /बी–121/2015–16

: आदेश :

(आज दिनांक 09 अक्टुम्बर 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन मय प्रकरण प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 10.7.2015 को राजेश पिता प्रतापसिंह जाति भीलाला उम्र 23 वर्ष निवासी फाटा तहसील अलीराजपुर की कृषि कार्य (विघुत मोटर स्टार्ट करने के दौरान विघुत करंट लगने से) मृत्यु हो गई है । मृतक के पिता प्रताप पिता भुरला जाति भीलाला निवासी ग्राम फाटा तहसील अलीराजपुर को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृत्यु प्रमाण पत्र, पी. एम. रिपोर्ट के आधार पर मृतक के वारिशान में प्रतापसिंह पिता भुरला जाति भीलाला निवासी ग्राम फाटा तहसील अलीराजपुर को माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र)स्वीकृत किये जाते है । म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम–7 एवं संशोधित आदेश कमांक /बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो./2171/भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है

अनुदान राशि आहरण कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

sd/-
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 923 /रीडर/2015 अलीराजपुर दिनांक 9/10/2015

प्रतिलिपिः– (आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ)

1– सहायक संचालक ऑचलिक कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड,इंदौर की ओर सूचनार्थ।
2– प्रभारी अधिकारी (वित्त–2/राहत शाखा जिला अलीराजपुर ।
3– जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
4– उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर ।
5– सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
7– तहसीलदार अलीराजपुर ।
8– सचिव, कृषि उपज मंडी अलीराजपुर ।
9– संबंधित (आवेदक) प्रतापसिंह पिता भुरला जाति भीलाला निवासी ग्राम फाटा तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर